पंचम माला, खण्ड 65, अंक 2, मंगलवार, 26 अक्तूबर 1976/4 कार्तिक, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXV, No. 2, Tuesday, October 26, 1976/Kartika 4, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

PARLIAMENT L...
Acc. No. ...

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[अठारहवां सत्र
Eighteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं
Vol. LXV contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1976/4 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 2, Tuesday, October 26, 1976/Kartika 4, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	1—5
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirty-second Amendment) Bill—	
(एक) संयुक्त समिति के लिये सदस्य की नियुक्ति	(i) Appointment of Member to Joint Committee	5
(दो) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना	(ii) Extension of Time for Presentation of Report of Joint Committee	5—6
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia .	6
श्री फ्रेंक एन्थनी	Shri Frank Anthony . . .	7—8
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	8—11
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	11—13
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	13—17
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair . .	17—18
श्री बसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	18—19
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	19—21
श्री भागवत झा आज़ाद	Shri Bhagwat Jha Azad . . .	21—23
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait . . .	23—24
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey . . .	24—25
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra . .	25—26
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	26

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)
उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री दी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री श्रा (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री डी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (जैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोज़फ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीप

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तेयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास; श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास; श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास; श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित; श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित• श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे; श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० पेरम्बूलूर)
देव; श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढवाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगरहवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु, (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकेरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारासाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० मांझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1976/4 कार्तिक, 1898 (शक)

Tuesday, October 26, 1976/Kartika 4, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

जाटवपुरा—बनसफानी रेलवे लाईन के निर्माण के लिए वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन के बारे में एक वक्तव्य

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं जाटवपुरा--बनसफानी रेलवे लाइन के निर्माण के लिये वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11393/76]

बम्बई हवाई अड्डे पर इंडियन एयर लाईन्स के केरावित वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में विवरण

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं बम्बई हवाई अड्डे पर 12 अक्तूबर, 1976 को इंडियन एयरलाइन्स के केरावित वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 11394/76]

तमिलनाडु जल प्रदाय और निकासी बोर्ड का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा तमिलनाडु नगरीय और ग्राम्य आयोजना अधिनियम 1971 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा विवरण ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) तमिलनाडु राज्य के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु जल प्रदाय और निकासी बोर्ड अधिनियम, 1970 की धारा 44 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तमिलनाडु जल प्रदाय और निकासी बोर्ड के वर्ष 1974-75 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 11395/76]

(2) तमिलनाडु राज्य के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु नगरीय और ग्राम्य आयोजना अधिनियम, 1971 की धारा 123 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी०ओ०एम० 1413 जो दिनांक 10 सितम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी०ओ०एम० 1803 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी०ओ०एम० 1873 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी०ओ०एम० 1885 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी०ओ०एम० 1895 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) तमिलनाडु नगरीय और ग्राम्य आयोजना बोर्ड (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और प्रस्तुत करना) नियम, जो दिनांक 3 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०ओ०एम० 231 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) जी०ओ०एम० 1166 जो दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) (एक) उपर्युक्त अधिसूचनाओं का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला ; और

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 11396/76]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1108 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 22 नवम्बर, 1975 की अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 2691 के हिन्दी संस्करण का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 11397/76]

रेलवे रेड टैरिफ (सातवां संशोधन) नियम, 1976

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेलवे रेड टैरिफ (सातवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1384 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 11398/76]

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) : मैं तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) सा०आ० 600(ङ) जो दिनांक 8 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1976, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 792(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 11399/76]

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (दूसरा संशोधन) नियम 1976

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री वेदव्रत वरुआ) : मैं एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (दूसरा संशोधन) नियम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 सितम्बर 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1392 में प्रकाशित हुए थे. सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 11400/76]

तमिलनाडु मद्य निषेध अधिनियम 1937 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा तत्सम्बन्धी विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) तमिलनाडु राज्य के संबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घाषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु मद्य-निषेध अधिनियम, 1937 की धारा 54 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) जी०ओ०एम० 366 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास मद्य (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(दो) जी०ओ०एम० 370 जो दिनांक 7 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचर्ड स्पिरिट, मिथिल अलकोहल तथा वार्निश (फ्रेंच पालिस) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किए गये हैं ।

(तीन) जी०ओ०एम० 371 जो दिनांक 7 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास मद्य (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किया गया ।

(चार) जी०ओ०एम० 372 जो दिनांक 7 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास मद्य (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पांच) जी०ओ०एम० 375 जो दिनांक 7 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास मद्य (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(छः) जी०ओ०एम० 388 जो दिनांक 7 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास मद्य (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(सात) जी०ओ०एम० 24 जो दिनांक 18 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास मद्य (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(आठ) जी०ओ०एम० 50 जो दिनांक 3 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचर्ड स्पिरिट, मिथिल अलकोहल तथा वार्निश (फ्रेंच पालिश) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(नो) जी०ओ०एम० 86 जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास मद्य (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दस) जी०ओ०एम० 104 जो दिनांक 25 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास मद्य (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(ग्यारह) जी०ओ०एम० 163 जो दिनांक 26 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचर्ड स्पिरिट, मिथिल अलकोहल तथा वार्निश (फ्रेंच पालिश) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(बारह) जी०ओ०एम० 193 जो दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचर्ड स्पिरिट, मिथिल अलकोहल तथा वार्निश (फ्रेंच पालिश) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(तेरह) जी०ओ०एम० 199 जो दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास रेक्टिफाइड स्पिरिट नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(चौदह) जी०ओ०एम० 244 जो दिनांक 18 अगस्त, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचर्ड स्पिरिट, मिथिल अलकोहल तथा वार्निश (फ्रेंच पालिश) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(पन्द्रह) जी०ओ०एम० 277 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास डीनेचर्ड स्पिरिट, मिथिल अलकोहल तथा वार्निश (फ्रेंच पालिश) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(2) उपर्युक्त (एक) से (तेरह) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 11401/76]

संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (THIRTY SECOND AMENDMENT) BILL

(1) संयुक्त समिति के लिये सदस्य कि नियुक्ति

डा० हेनरी आर्स्टन (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से लोक सभा के श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री शंकर राव सावंत को नियुक्त करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से लोक सभा के श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री शंकर राव सावंत को नियुक्त करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

(2) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना :

डा० हेनरी आर्स्टन : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

डा० रानेन सेन (बारसात) : समय कितनी बार बढ़ाया जा चुका है ? क्या कारण है ?

डा० हेनरी आर्स्टन : यह समय बढ़ाने के लिये अंतिम अनुरोध होगा क्योंकि हम खंडवार चर्चा पहले ही कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक—जारी
CONSTITUTION (FORTY-FOURTH AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब संविधान (44वें संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेगी । श्री चारुचन्द्र भट्टाचार्य अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री चारुचन्द्र भट्टाचार्य (गिरिडीह) : प्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणीकर्ता, हेरोल्ड लास्की ने यह सन्देह व्यक्त किया था कि क्या पूंजीवादी लोकतंत्र से समाजवादी लोकतंत्र में परिवर्तन संविधान की सीमा के भीतर सुचारू रूप से हो सकेगा । वास्तव में हम ऐसा ही कर रहे हैं और संविधान में 44वां संशोधन इस बात के लिये गारंटी होगा कि यह परिवर्तन सुचारू रूप से, कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से होगा ।

इन संवैधानिक संशोधन का कुछ सदस्यों ने विरोध किया है । उन्हें इसका विरोध करने की प्रेरणा अमरीका में विद्यमान प्रणाली और वहां के उच्चतम न्यायालय की घोषणा से मिली है । इस प्रणाली से उस देश में सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया की गति धीमी हुई है । हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि देश की अखण्डता की रक्षा करने के लिये संविधान में व्यापक संशोधन अत्यन्त आवश्यक है ।

मैं विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि निदेशक तत्वों में जनसंख्या पर नियंत्रण की आवश्यकता शामिल की जाये और महिलाओं के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी एक खण्ड भी निदेशक तत्वों में शामिल किया जाये । संवैधानिक संशोधन पर विरोधी दलों की सहमति लेने के सरकारी प्रयासों का मैं स्वागत करता हूं । यह संसद राज्य विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की तुलना में कम प्रतिनिधि नहीं है । इसे संविधान सभा ने 25 या 26 वर्ष पहले बनाया था । जनसंख्या में इस प्रकार वृद्धि से हमारे सभी प्रयास निष्फल हो जायेंगे जब तक कि हम इसे संविधान में केन्द्रीय सिद्धांत के रूप में शामिल नहीं करते । जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को तीन बच्चों के बाद एक और मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि वे और बच्चों के लिये अपने पतियों को उनके वैवाहिक अधिकारों से इनकार कर सकें ।

हम विधि शासन और संविधान और अंग्रेजी न्यायशास्त्र की परम्पराओं से हटकर कुशल प्रशासन और फ्रांसीसी न्यायशास्त्र की मान्यताओं की ओर बढ़ रहे हैं । गत तीन दशकों में लगातार संकटों के दौरान फ्रेंच सिविल सर्विस ने जिस प्रकार निष्ठा से कार्य किया है, हमें भी अपनी सेवाओं को उस स्तर तक लाने के लिये तुरन्त कदम उठाने होंगे । इसी से हमारा यह परिवर्तन अर्थपूर्ण होगा । इन शब्दों के साथ मैं संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय) : मैं सत्ताधारी कांग्रेस के कुछ सदस्यों के इस सुझाव को समझने में असमर्थ हूं कि इन संशोधनों पर विचार करने के लिये एक संविधान सभा होनी चाहिये । अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान में संशोधन केवल संसद् ही कर सकती है ।

मैं शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किये जाने का स्वागत करता हूं । इसकी काफी समय से आवश्यकता थी । संविधान के सभा के सदस्य होने के नाते मैंने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किये जाने का अनुरोध किया था ।

मैंने यह भी कहा था कि 'जनसंख्या नियंत्रण' को समवर्ती सूची में रखा जाये और ये विचार व्यक्त किये थे कि 'जनसंख्या नियंत्रण' शब्द अधिक उचित है क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता की भावना झलकती है जबकि "परिवार नियोजन" में व्यक्ति की भावना झलकती है । 'जनसंख्या नियंत्रण' का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिये क्योंकि इस समय जनसंख्या वृद्धि ही राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ।

इस समस्या के हल के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने की प्रक्रिया अब तक सर्वथा अपर्याप्त रही है । 20 वर्ष पहले परिवार नियोजन का काम शुरू किया गया था तथा 1952 से 1971 तक इस पर 13190 लाख रुपये खर्च हुए । परन्तु इतना सब करने पर भी इस समस्या पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा । इसीलिये हमने यह महसूस किया है कि समाज के प्रत्येक अंग को इस लड़ाई में शामिल किया जाये । मध्यम वर्ग या निम्न मध्य वर्ग या किसी भी वर्ग के लोगों द्वारा अधिक बच्चे पैदा करना पाप ही नहीं है वरन् अपराध है : इस्लाम या ईसाई कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि आप अर्ध मानव पैदा करें । इसलिये मैंने अनुच्छेद 102 के लिये एक संशोधन की सूचना दी है कि किसी स्थान के लिये चुनाव लड़ने को चुने जाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह बच्चे पैदा करने की स्थिति में है और उसके 3 बच्चे हैं, नसबन्दी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे और यदि चुने जाने के बाद यदि उसका परिवार 3 बच्चों से अधिक बढ़ जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाये ।

विधेयक में यह उपबन्ध है कि सभी मूल अधिकारों के मुकाबले केन्द्रीय विधानों, विनियमनों और अधिसूचनाओं सम्बन्धी मामलों में सात न्यायाधीश निर्णय देंगे । अब हम मूल सिद्धांत को समाप्त कर रहे हैं । यह उचित नहीं है ।

विधि मंत्री ने कहा है कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को तनिक भी कम नहीं करना चाहते हम इसके लिये अत्यधिक आभारी हैं, परन्तु, हम देखते हैं कि अधिकतर न्यायाधीश, बहुसंख्यक जनसंख्या के होते हैं । कुछ न्यायाधीश अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों को नहीं समझते और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न करते हैं ।

जहां तक अंग्रेजी भाषा का सम्बन्ध है उसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये । अंग्रेजी ही एक मात्र अखिल भारतीय भाषा है । आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी सबसे अधिक भारतीय भाषा है । यह अधिकारिक विधान की एक मात्र भाषा है । यह ही एक मात्र सम्पर्क भाषा है । नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक किये गये एक आधिकारिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 250 लाख छात्र किसी न किसी स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं । आज यह भारतीय विचारधारा का अभिन्न अंग है तथा अनेक राष्ट्रों की संस्कृति की भाषा है । इस आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने में देरी की जा रही है ।

विधि मंत्री कृपा करके अनुच्छेद 31-ख का अर्थ स्पष्ट करें । जहां तक हम समझ पाये हैं कि किसी भी अधिनियम या विनियमन को, यदि उसे नवम् अनुसूची में शामिल कर दिया गया है, मूल अधिकारों

के अन्तर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती । इससे अल्पसंख्यकों के सभी मूल अधिकार समाप्त हो जायेंगे । अत: विधि मंत्री यह संशोधन करें कि अनुच्छेद 31-ख अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होगा ।

श्री स्वर्ण सिंह (जलन्धर) : इस विधेयक में निहित संशोधन को दो भागों में बांटा जा सकता है । कुछ संशोधन राजनीतिक हैं और कुछ सामाजिक 'धर्म-निरपेक्ष' और "देश की अखण्डता" शब्द राजनीति से सम्बन्धित हैं ।

जहां तक धर्म निरपेक्षता का सम्बन्ध है हमारे यहां इसका अर्थ वह नहीं है जो शब्द-कोषों में दिया गया है । इसका अब एक निश्चित अर्थ है । सभी धर्मों के लोग हमारे संविधान के अन्तर्गत कानून की दृष्टि में समान हैं । हमारे देश में इसी रूप को माना जाता है और इसीलिये हमने इसे संविधान की प्रस्तावना में स्थान देना उचित समझा है, जो हम इस संशोधन से कर रहे हैं ।

जहां तक 'अखण्डता' शब्द का सम्बन्ध है, प्रस्तावना में 'एकता' शब्द पहले से विद्यमान है । परन्तु, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हमने समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने और देश की अखण्डता को महत्व देने के लिये प्रस्तावना 'अखण्डता' शब्द जोड़ा है । संकट के समय देश ने उल्लेखनीय एकता का प्रदर्शन किया है । संकट के समय की एकता हमारे जीवन का सामान्य अंग होना चाहिये क्योंकि हमारा विकास सम्बन्धी संकट एक निरन्तर चलने वाला संकट है और इसलिये एकता हमारे राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिये ।

हमारे समाजवाद के क्या अर्थ हैं ? इसके अर्थ यह हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में हमारी प्रगति के परिणामों से होने वाले लाभ सभी वर्गों को प्राप्त हों । सरकारी क्षेत्र बढ़ रहा है । हम चाहते हैं कि उत्पादन के मुख्य माध्यम सामाजिक नियन्त्रण में हों । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस विधेयक में निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्व दिया जा रहा है ।

हमें इन प्रस्तावों के सार पर ध्यान देना चाहिये । हमारे संविधान में दिये गये निदेशक सिद्धांतों का महत्व इसलिए कम हो गया था कि न्यायालयों ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों को तो कानूनी ढंग से लागू किया जा सकता है किन्तु निदेशक सिद्धांतों को नहीं । मैं चाहता हूं कि सभा इन दो प्रकार के सिद्धांतों के अन्तर पर विचार करे और उसे समझे । मूल अधिकार व्यक्ति के लिये हैं जबकि निदेशक सिद्धांत समाज के लिये हैं । संविधान में यह लिखा हुआ है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अपने कानून बनाते समय निदेशक सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी । ऐसी स्थिति में इन सिद्धांतों को कैसे मूल अधिकारों से कम महत्व दिया जा सकता है ?

इस प्रकार हम निदेशक सिद्धांतों को उचित स्थान देना चाहते हैं । हमें इस विधान द्वारा समाज के सामाजिक अधिकारों को मान्यता देकर उन्हें उचित स्थान देना है । इन से देश की जनता को अधिकार प्राप्त होंगे । हमें ऐसे कानून बनाने हैं जो समाज के अधिकारों को सुदृढ़ करें । इनका समाज के बहुत बड़े भाग को लाभ होगा । देश के शासन में भी इसका बहुत महत्व है । यह विधान ऐसा होना चाहिये जिसे अदालतों में चुनौती न दी जा सके ।

इस विधान द्वारा निदेशक सिद्धांतों में एक या दो नई बातें जोड़ी जा रही हैं । कर्मचारियों को उद्योगों में भागीदार बनाने को निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया जा रहा है । निर्धन लोगों को कानूनी सहायता देना और वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करना भी निदेशक सिद्धांतों की सूची में शामिल किया जा रहा है । हमें भविष्य में भी आवश्यक बातों को इस सूची में शामिल कर लेना चाहिये । ये सब बातें आधारभूत हैं । शेष बातें तो कार्यान्वियन के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिये हैं । न्यायालयों के बारे में कुछ लम्बी-लम्बी दलीलें दी गई हैं । इस सम्बन्ध में हमने तीन मुख्य बातें की

हैं । प्रथम यह कि प्रक्रिया के अनुसार पारित होने वाले संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी । दूसरी यह कि कोई न्यायालय केवल तब किसी अधिनियम को अवैध घोषित कर सकेगा जब दो-तिहाई न्यायाधीश ऐसा निर्णय करेंगे । रिट याचिकाओं को न्यायालय में दायर करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है । इस प्रकार यह साधारण संशोधन है ।

हमने अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया है । संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अनुसार उच्च-न्यायालय या उच्चतम न्यायालय संवैधानिक संशोधनों की वैधता की छानबीन कर सकें । कुल सदस्यों के बहुमत, दो तिहाई बहुमत और राज्यों के बहुमत के समर्थन के बारे में न्यायालयों को कुछ नहीं करना है ।

सभा के अध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र पर्याप्त दस्तावेज़ है ।

कोई भी संसद् अपने अधिकारों पर किसी प्रकार का अकुंश बर्दाश्त नहीं कर सकती । फिर हमारे देश में संसद् को अनेक प्रगतिशील कानून बनाने हैं । संविधान में सरकार के अनेक अंगों के कार्यों को स्पष्ट किया गया है । परन्तु खेद की बात है कि न्यायालयों ने अपने कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण करके कार्य करना आरम्भ कर दिया । अब हम इस प्रकार उत्पन्न होने वाले असन्तुलन को समाप्त करने में प्रयत्नशील हैं । मौलिक ढांचे वाली बात एक नई बात है । अब हम उनकी इसमें सहायता कर रहे हैं ।

जहां तक आधारभूत ढांचे का प्रश्न है, संविधान में इस शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है और न ही यह बताया गया है कि आधारभूत ढांचा क्या होता है ? विधि मंत्री ने सही ही कहा है कि यह न्यायाधीशों का अपना गढ़ा हुआ शब्द है और वे इस प्रकार संविधान में ऐसी चीज पढ़ रहे हैं । जो इसमें नहीं है । संसद् को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है । इसका अर्थ यह है कि संसद् संविधान में शब्द जोड़ या कम कर सकती है । हम केवल प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़ रहे हैं । न्यायपालिका का कार्य केवल संविधान की व्याख्या करना है न कि संसद् को संविधान में संशोधन करने के लिए रोकना है । हम एक प्रकार से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को परिभाषित कर रहे हैं ताकि वह दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे ।

जहां तक संसद् की सर्वोच्चता का प्रश्न है, लोगों की यही आकांक्षा है कि संसद् की सर्वोच्चता बनी रहे । यदि संसद् संविधान में कोई संशोधन करती है तो ऐसा करने का उसे पूरा अधिकार है । इसी कारण से हमने यह व्यवस्था की है संविधान सम्बन्धी संशोधनों को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

हमारे संविधान में तीन सूचियां है—संघसूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची । प्रत्येक सूची में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकार दिए गए हैं । यदि कोई हस्तक्षेप होता है तो न्यायपालिका उसके बारे में निर्णय कर सकती है । भविष्य में हम नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुरूप जो भी कानून बनाएंगे वह गरीबों के हित में होगा क्या न्यायालयों को नीति निदेशक सिद्धान्तों की व्याख्या करने का पूरा अधिकार होगा । नीति निदेशक सिद्धान्तों में यह व्यवस्था की गई है कि निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी । संसद् जो भी कानून बनाती है, वह बहुमत से बनाती है और एक न्यायधीश यह निर्णय देता है कि अमुक कानून अवैधानिक है । प्रजातांत्रिक ढांचे की सरकार में इस प्रकार की बातें किस प्रकार स्वीकार की जा सकती हैं । अतः यह व्यवस्था की गई है कि यदि संसद् द्वारा बनाए गए कानून को अवैधानिक घोषित किया जाना है तो उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का तथा सर्वोच्च न्यायालयों के मामले में 7 न्यायाधीशों का बैंच बैठेगा । अब से पहले संविधान संशोधनों के बारे में कई रिट न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़ी हैं । लेकिन अब के बाद मुकद्दमों की संख्या कम हो जाएगी । यह समझा जाएगा कि संसद् ने जो भी कार्य किया है, वह संविधान के अनुरूप किया है । यदि कोई यह कहे कि संसद् ने संविधान के अनुरूप कार्य नहीं किया है तो उसे ठोस बहुमत के साथ-साथ ठोस कारण भी बताने होंगे ।

न्यायपालिका को अधिनियमों की संवैधानिक मान्यता के बारे में निर्णय देने का पूरा अधिकार है। न्यायपालिका का कार्य संविधान की व्यवस्था करना है यदि 'हम किसी अन्य उद्देश्य' को भी जोड़ देते हैं तो एक क्रांन्ति पैदा हो जाएगी कि न्यायालय इस पर निर्णय दे सकता है अथवा नहीं। इसलिए हमने ये शब्द हटाकर न्यायालयों को कठिनाई से बचा लिया है। न्यायालय को रिट जारी करने का पूरा अधिकार है लेकिन उसे इस निर्णय पर पहुंचना होगा कि कानून का इस प्रकार उल्लंघन किया गया है कि जिससे न्याय नहीं मिल सकता और रिट जारी करने के अतिरिक्त सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। अतः यह आरोप लगाना असंगत है कि हम न्यायपालिका की स्वन्त्रता को समाप्त कर रहे हैं। हम तो न्यायालय को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सहायता दे रहे हैं।

न्यायाधिकरणों की योजना के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि सेवा, राजस्व तथा कर सम्बन्धी मामलों में हमने यह सोचा कि लोगों को न केवल उच्च न्यायालय तक ही जाने की छूट हो, जिसका क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित है बल्कि इसके लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त न्यायाधिकरण भी होना चाहिए जो ऐसे मामले निपटाए। इस योजना के अन्तर्गत जो न्यायाधिकरण बनेंगे उनमें पर्याप्त कानूनी योग्यता वाले स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति होंगे, जिनमें लोगों का विश्वास होगा क्योंकि हमारा ध्येय उन लोगों को न्याय दिलाना है। न्यायाधिकरणों की स्थापना इस ध्येय को सामने रखकर को गई है और मोटे तौर पर उन लोगों ने उनका स्वागत किया है जो इस नई संस्था से प्रभावित हो सकते हैं।

जहां तक सरकार के गठन तथा इसकी जिम्मेदारियों का प्रश्न है, हमने राज्य सूची या संघ सूची के किसी कार्य को एक से दूसरी सूची में हस्तान्तिरत नहीं किया है। हमने सूचियों को ज्यों का त्यों बने रहने दिया है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों के जिम्मे आते हैं। समवर्ती सूची में ऐसे मामले रखे गए जो अखिल भारतीय नीति तथा अखिल भारतीय दृष्टिकोण के अन्तर्गत आते हैं तथा उसका सम्बन्ध कई राज्यों से है। अतः राज्य सूची में रखे गए ऐसे मामले, जो कई राज्यों को प्रभावित कर सकते थे, समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। कई विषयों को राज्य सूची से समवर्ती विषयों को शामिल करने के बारे में सदन में तथा सदन से बाहर काफी आलोचना की गई है और कहा गया है कि इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। इन विषयों को देखकर सभी को यह विश्वास हो जाएगा कि उन्हें शुरू से ही समवर्ती सूची में होना चाहिए था। वे विषय ऐसे नहीं थे जो राज्य सरकारों के प्रभुत्व के प्रतीक हों बल्कि ऐसे थे जिनसे अखिल भारतीय और अन्तर्राज्यीय समस्याएं उत्पन्न होती थीं। उदाहरणार्थ शिक्षा को ही लें। प्रत्यक्षतः शिक्षा का कार्य तो राज्य सरकारों के पास रहेगा परन्तु साथ ही हमें अखिल भारतीय दृष्टिकोण से भी शिक्षा के पहलू को समझना होगा। पाठ्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार वनों तथा वन्य पशुओं की सुरक्षा के प्रश्न पर भी अखिल भारतीय स्तर पर विचार करना होगा। इसी प्रकार परिवार नियोजन और माप-तोल मानकों को भी समवर्ती सूची में रखा गया है। इसलिए हम कोई असंगत बात नहीं कर रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि संविधान में संशोधन क्यों किया जा रहा है? हम जो भी संशोधन कर रहे हैं, वे जनता के लाभ के लिए कर रहे हैं। यह तर्क भी दिया गया है कि संसद् मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन अब यह निर्णय किया जा चुका है कि संसद् इसमें परिवर्तन कर सकती है। जहां तक इस तर्क का सम्बन्ध है कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता इस विषय पर मैं काफी कुछ पहले ही बता चुका हूं और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहना चाहता।

कहा गया है कि कांग्रेस को यह संशोधन लाने के लिए लोकमत का निर्णय प्राप्त नहीं है और न ही संसद् को ऐसा निर्णय प्राप्त है। यह सर्वथा गलत है। जब संसद् की कार्यावधि बढ़ा दी गई है तो उसे वही सर्वाधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमें विश्वास है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह द्रुत सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों के लिए लाभदायक है तो हमें इस सम्बन्ध में शर्मिन्दा होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हम पूर्वोदाहरणों की परवाह नहीं करते हमें इन सभी बातों में नहीं पड़ना चाहिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के प्रयत्नों में लगे रहना चाहिए ताकि दूरगामी सामाजिक परिवर्तन लाने के अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के सम्बन्ध में दृढ़ संकल्प रहें और आगे बढ़ते रहें।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा दल कुछ खंड स्वीकार करने को तैयार है और कुछ खंड हमारे दल को स्वीकार नहीं हैं।

स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। 44 वें संशोधन विधेयक के प्रारूप को देखने से पता चलता है कि इस संशोधन के नाम पर संविधान को नया रूप दिया जा रहा है।

हम प्रधान मंत्री के इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि संसद् संविधान में संशोधन करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि इस संसद् को संविधान सभा के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी यह कहा जा रहा है कि संसद् को संविधान सभा में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री ने स्वयं इस सुझाव का पुरजोर विरोध किया है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव दिया है। हमारा दल इस सुझाव का विरोध करता है।

विधि मंत्री ने स्वयं कहा है कि संविधान लोगों की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतीक है। संविधान को समय की धारा के अनुसार चलना चाहिए। यह संविधान जड़ वस्तु नहीं है।

मैं सदन में पहले ही यह बता चुका हूं कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र जड़ संविधान को सहन नहीं कर सकता। हम संविधान में संशोधन करने के पक्ष में हैं। संविधान में संशोधन होना ही चाहिए।

हमारा दल संसदीय सर्वोच्चता के पक्ष में है, संसद् जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यदि संविधान में संशोधन किए जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री स्वर्ण सिंह ने अपने भाषण में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि हम लोगों के पास जनमत संग्रह के लिए जाएं, तो वह सीधे हम से यही कहेंगे कि यदि हमने आपको समाजवाद तथा धर्म निरपेक्षता के नाम पर वोट दिया है, तो फिर आपने उसकी क्रियान्विति क्यों नहीं की। मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक संविधान की प्रस्तावना का सम्बन्ध है, प्रस्तावित संशोधनों में, 'संम्पूर्ण प्रभुत्व—सम्पन्न लोकतंत्र गणराज्य' के स्थान पर 'सम्पूर्ण प्रभुत्व—सम्पन्न लोकतंत्रात्मक धर्म निरपेक्ष समाजवादी गणतन्त्र' शब्दों का प्रतिस्थापन किया जायेगा, हमें इन दो शब्दों के अन्तःस्थापन पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इन की व्याख्या बहुत ही स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग होता है इसीलिए हम यह चाहते हैं कि आर्थिक उद्देश्यों से सम्बद्ध यह शब्द इसमें अवश्य जोड़ा जाना चाहिए।

जहां तक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संबंध है तथा धार्मिक समुदायों का संबंध है इस बारे में कोई भेद भाव नहीं किया जाता है। इस विशिष्ट दिशा में हमारी धारणा धर्मनिरपेक्षता की है। लोग जानते हैं कि हम धर्मनिपेक्षवाद राज्य चाहते हैं। हम धर्मतंत्रीय राज्य नहीं चाहते। लेकिन फिर भी संवैधानिक संशोधनों के निर्माताओं ने एक विशिष्ट शब्द को इसमें रखना उपयुक्त समझा।

हम लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं। हमारा एक प्रभुसत्तासंपन्न गणराज्य है। अतः हमने विद्यमान शब्दों का प्रतिस्थापन प्रभुतासम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र शब्दों से किया है। संविधान की

प्रस्तावना से स्पष्ट होना चाहिए कि संविधान किस प्रकार का है। अतः मेरा सुझाव है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द के बाद लोकतांत्रिक और संघीय गणराज्य शब्दों को जोड़ा जाए। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यहां कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं तथा वह विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के हैं। इस देश की संस्कृति मिश्रित है तथा इस देश का समाज बहुमुखी है। अतः संविधान में संशोधन करते समय हमें इन सभी तथ्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः उनका यह कर्त्तव्य है कि वह **'संघीय'** जैसे विशिष्ट शब्द की अन्तःस्थापना संविधान की प्रस्तावना में करें।

राष्ट्रविरोधी गतिविधि के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है प्रान्तीयता यह बहुत घातक है लेकिन कुछ गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कई अनिच्छुक लोगों पर कई चीजें जबर्दस्ती थोपी जा रही हैं और प्रधान मंत्री को इनकी जानकारी नहीं है। अतः गैर हिन्दी भाषी लोगों के हितों की रक्षा के लिए कोई तरीका ढूंढा जाना चाहिए। पंडित नेहरू ने आश्वासन दिया था कि गैर-हिन्दी भाषी लोगों के साथ हिन्दी सीखने के मामले में जबर्दस्ती नहीं की जाएगी। हम इस सम्बन्ध संवैधानिक संरक्षण चाहते हैं।

जहां तक राज्यों के विषयों को केन्द्र को अंतरित करने और केन्द्र के विषयों को राज्यों को अंतरित करने का सम्बन्ध है यह कहा गया है कि न तो राज्य सूची के विषय केन्द्र को सौंपे गए हैं और न ही केन्द्रीय सूची के विषय राज्य सूची में रखे गए हैं। लेकिन शिक्षा को आपने राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में रखा है। राज्य के अधिकारों को जानबूझ कर कम किया जा रहा है अतः वर्तमान ढांचे को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति के मामले में भी हम समझ नहीं पा रहे कि वर्तमान पद्धति को क्यों बदला जा रहा है। अब तक राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच पूर्ण समन्वय है। इस विशिष्ट खण्ड को जोड़ने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है। वास्तव में इस खण्ड के पुरःस्थापन द्वारा हम प्रत्येक राज्य में समांतर शक्ति पैदा कर देंगे।

यदि किसी समय कोई राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किये गये निदेशक सिद्धांतों का पालन करने से इंकार कर देती है तो संसद् तथा केन्द्र को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उस सरकार को भंग कर सके।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

कुछ लोगों को यह धारणा है कि हम केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं तथा राज्यों को शक्तियां कम करते जा रहे हैं। हमें लोगों के मन से यह भ्रामक धारणा समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए।

अनुच्छेद 74 में संशोधन करके कार्यपालिका को अनेक शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। कार्यपालिका को इतना अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है कि अब राष्ट्रपति के पास केवल उनकी सलाह मानने के और कोई अन्य रास्ता नहीं रह जायेगा।

एक अन्य बात है जिसे पता नहीं वह परस्पर विरोधी समझते हैं या नहीं। खण्ड 59 के अनुसार राष्ट्रपति को अथाह शक्ति प्रदान की जा रही है। उसे दो वर्षों के लिए सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। परन्तु यह व्यवस्था संतोषजनक है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री द्वारा जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया है उसे कुछ राज्यों द्वारा ईमानदारी से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अतः प्रधानमंत्री को 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा युवा नेता संजय गांधी

के 5 सूत्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में भी कुछ स्पष्ट करना चाहिए । मेरे राज्य तमिलनाडु में इस कार्यक्रम को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मेरे दल के लोग जब कभी भी जन संबोधन के लिए सभा आदि के आयोजन के लिए मंजूरी मांगते हैं तो उन्हें पुलिस द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती। आखिर यह सब क्या है ?

मेरे मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात की गई है। 20 वर्ष के बाद हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ के लगभग हो जायेगी। अतः हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसके अनुसार नव दम्पत्ति यह शपथ लें कि वह अपने बच्चों की संख्या 2 तक ही सीमित रखेंगे।

जहां तक संविधान में शक्तियों से सम्बद्ध अध्याय को जोड़ने का सम्बन्ध है, मैं पूर्णतया उसके पक्ष में हूं। यदि संभव हो सके तो हमें नागरिक के मूल कर्तव्यों वाले अध्याय में यह जोड़ देना चाहिये कि मतदान की आयु प्राप्त करने पर, मतदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह देश के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए ही अपना मतदान करें।

इस समय केन्द्र तथा राज्यों के बीच तो संतुलन बना हुआ है, शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, वह निश्चय ही सराहनीय है तथा उसमें कोई भी फेर बदल नहीं किया जाना चाहिए। अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाषा के संबंध में दिये गये आश्वासनों का सम्बन्ध है, उन्हें भी इन संविधान संशोधनों में उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिये । यदि संस्कृत को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जा सकता है तो फिर अंग्रेजी को जो भारत के आंग्ल-भारतीय समुदाय की भाषा है, आठवीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता ? विधेयक के न्यायिक पक्ष के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तपुजा) : संविधान संशोधन संबंधी विषय पर गत अनेक महीनों से होती चली आ रही राष्ट्रीय बहस अब लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इन संशोधनों के कर दिये जाने पर देश के सभी लोगों की आकांक्षाओं को क्रियान्वित करना आसान हो जायेगा। एक लम्बे समय से कांग्रेस पार्टी संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार के बारे में विचार कर रही थी तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन भी किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा अब इसे चवालीसवें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में कानूनी रूप दिया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने देश के कोने कोने में भ्रमण करके लोगों के विचारों को जानने का प्रयत्न किया है। समिति को लगभग 4,000 के करीब ज्ञापन प्राप्त हुये थे।

यह विधेयक एक वास्तविक राष्ट्रीय बहस के आधार पर तैयार किया गया है। खेद की बात है कि कुछ पार्टियों ने वाद-विवाद का बहिष्कार कर दिया है।

साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) संविधान के संशोधन के मामले पर बैठकों में भाग लेती रही है परन्तु न जाने क्यों उन्होंने सभा में अब यह रुख अपनाया है ।

गत 25 वर्षों में अनेक बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। न्यायपालिका के बारे में सारभूत बातें हुई हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय की शक्ति कम नहीं हुई है। पहले उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों को, जिन पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचार हो रहा हो, उच्च न्यायालय से वापस नहीं मंगा सकता था। अब उच्चतम न्यायालय समुचित परिस्थितियों में मामलों को मंगा सकेगा।

अब उच्चतम न्यायालय में मामले लाये जा सकेंगे। पहले ऐसा नहीं हो सकता था। अब न्यायाधिकरणों की स्थापना की जायेगी और उच्चतम न्यायालय को उनके निर्णयों पर विचार करने का अधिकार

होगा। इस प्रकार उनके अपीलीय क्षेत्राधिकार को बनाये रखा जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किसी न्यायिक निर्णय या सांविधिक निर्णय को हटाया नहीं गया है। यह कहना कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कमी की गई है, तथ्यों के विपरीत है।

उच्च न्यायालयों के मामले में कुछ कार्यवाही की गई है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अब तक क्षेत्रीय दृष्टि से सीमित था। उनके पास क्षेत्राधिकार के बाहर रिट जारी करने का अधिकार नहीं था। अब उन्हें दो अतिरिक्त अधिकार दिये गये हैं। पहला तो यह कि उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भी व्यक्ति को रिट जारी कर सकता है बशर्ते कि वाद के कारण की घटना वहीं पर घटी हो। दूसरे उन्हें अब भाग 3 में उल्लिखित उद्देश्यों से अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न्यायाधिकरण भी आ गये हैं। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उन्हें प्रशासनिक पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया था। लेकिन जिस संविधान के किसी अनुच्छेद के प्रावधान के अभाव में उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग निर्णयों के रद्द करने के लिए शुरु कर दिया है। अतिरिक्त आदेश जारी किये गये और रोकादेश जारी किये जा रहे थे। मुझे पता चला है कि लगभग 80,000 रिट जिनका लाखों लोगों से सम्बन्ध है, बकाया लम्बित हैं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालयों की शक्तियां कम कर दी गई हैं। अब भी उनको यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी मामले में बैंच में अपेक्षित बहुमत है तो वह कानून को अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। केवल अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत उन्हें क्षेत्राधिकार से वंचित किया गया है।

जहां तक न्यायाधिकरणों के निर्णयों का संबंध है, अपीलीय निर्णय का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। क्षेत्राधिकार पर प्रभाव पड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता बनायी रखी गयी है। प्रशासनिक प्राधिकार बढ़ा दिये गये हैं, मामलों को उच्चतम न्यायालय में भेजा जा सकता है और वह ऐसे मामलों में निर्णय दे सकते हैं। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है उन्हें राज्य के कानूनों से निपटने की छूट दी गई है।

जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति करने के लिए हमारा विचार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का है और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उन्हीं लोगों में से की जायेगी जो कि न्यायिक सेवा में आने की योग्यता रखते होंगे। देश की अखण्डता, एकता तथा देश में न्यायिक एक रूपता बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाये।

आपात शक्तियों के अनुच्छेद 352 के सम्बन्ध में एक अन्य खण्ड भी है। इसमें दो संशोधन किये जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की जा रही है कि वह सम्पूर्ण देश या देश के किसी भी भाग के लिए संपूर्ण राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अब राष्ट्रपति को यह शक्ति भी होगी कि वह किसी क्षेत्र विशेष में आपात स्थिति की घोषणा कर सकेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन चुनाव संबंधी अयोग्यताओं के बारे में किया जा रहा है। अभी तक लाभ का पद शब्दावली सुस्पष्ट नहीं थी इसलिए अब यह प्रस्ताव है कि संसद लाभ के पद शब्दावली का पूर्णतया परिभाषित करे जिस के कारण कोई व्यक्ति संसद सदस्य न हो सकेगा। यदि संसद किसी पद को लाभ के पदों की सूची में शामिल नहीं करती तो उस पद को धारण करने वाले पदाधिकारी को संसद सदस्य होने से वंचित न किया जाए। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। संसद को यह स्पष्ट करना

चाहिए कि किन किन पदों को धारण करने वाले अधिकारी संसद सदस्य न हो सकेंगे। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। यह विचित्र होगा कि जनता के प्रतिनिधियों को सरकारी क्षेत्र में कोई स्थान प्राप्त न हो। इस समय कोई निर्वाचित प्रतिनिधि सरकारी क्षेत्र में कोई पद धारण नहीं कर सकता। इस स्थिति में परिवर्तन करना होगा और इसीलिए यह संशोधन लाया गया है।

जहां तक सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति का सम्बन्ध है यदि भारत सरकार की सशस्त्र सेनाएं किसी राज्य में प्रशासन की सहायता हेतु भेजी जाती हैं तो इसमें क्या बुराई है। अब तक स्थिति यह थी कि सशस्त्र सेनाओं की उस टुकड़ी पर कानूनी रूप से तथा संवैधानिक रूप से स्थानीय प्राधिकारियों का नियंत्रण होता था।

इस विधेयक में हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विचार और भावनाओं की झलक मिलती है। सदन के समक्ष समय-समय पर जो विभिन्न संवैधानिक संशोधन रखे गये उनमें प्रकट की गई सरकारी विचारधाराओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। 25 वर्ष के अनुभव के बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं जहां से हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। संविधान को राष्ट्र की भावनाओं का प्रतीक होना चाहिए। इसमें उस पवित्र शपथ की पुनः पुष्टि करनी होगी जो हमने ली थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा रहा है। इसमें दो बातें शामिल की गई हैं धर्म निर्पेक्षता और समाजवाद। हम इनके प्रति वचनबद्ध हैं। इनसे कभी पीछे नहीं हटेंगे।

विधेयक में कुछ उपबन्धों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ खण्ड 55 प्रभुसत्ता के लिय बहुत घातक है। खण्ड 55 में कहा गया है कि किसी बात पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी सिवाय इसके कि यह कार्य इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अन्तर्गत हम न्यायालय के हस्ताक्षेप का बुलावा दे रहे हैं। क्योंकि यह देखना न्यायालय का काम है कि प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है या नहीं। प्रक्रिया दो तिहाई बहुमत अथवा पूर्व अनुमति तक सीमित नहीं होगी। सभा के गठन के बारे में भी वही प्रक्रिया अपनायी जा सकती है। प्रक्रिया के आधार पर यदि संविधान संशोधन अधिनियम पर आपत्ति की जा सकती है तो सामान्य विधियों के संबन्ध में तो यह निश्चित रूप से उठाई जा सकती है। इससे तो विधि न्यायालयों में मुकदमों की बाढ़ आ जायेगी। अनुच्छेद 122 में उल्लेख है कि प्रक्रिया के मामले सर्वथा सभा के आतंरिक मामले हैं तथा उनमें अध्यक्ष महोदय अथवा महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। प्रक्रिया के मामले सभा के गठन पर भी लागू हो सकते हैं। अतः यह एक खतरनाक प्रस्ताव है।

खण्ड 21 भी संसद की प्रक्रिया से संबन्धित है। इससे विधि अधिनियमित करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय अथवा पीठासीन अधिकारी को दिये गये अधिकार समाप्त हो जायेंगे। सभा की प्रक्रिया विधि अधिनियमित करके नहीं अपितु क्रमिक विकास द्वारा निर्धारित की जाती है। पर अब तो यह समझा जायेगा कि पीठासीन अधिकारियों को सभा की प्रक्रिया के बारे में विधि अधिनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या यह अधिकार सभा से वापस लिया जाना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या विकास में विधि सम्मिलित नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : विकास का यह अभिप्राय नहीं है। परन्तु इस बारे में सन्देह क्यों रखा जाये। आज 25 वर्ष पश्चात् हमें अपने सदन में हाउस आफ कामन्स के उदाहरण नहीं देने चाहिए।

विधेयक में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का उल्लेख अनावयक है । अनुच्छेद 19 के उपखंड (2) में तथा उससे आगे भी इन पर चर्चा की गई है । आंतरिक गड़बड़ी के लिए किसी कार्य के किये जाने को राष्ट्रविरोधी मानना ठीक नहीं ।

सरकार को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और 'राष्ट्रविरोधी संगठन' शब्दों की परिभाषा पर पुनः विचार करना चाहिए ।

नवम्बर, 1971 में हमारे निर्वाचन के तुरन्त बाद हमने गोलक नाथ मामले का, जिसके अंतर्गत मूल-अधिकारों में संशोधन करने के बारे में संसद के अधिकार को चुनौती दी गई थी, प्रभाव समाप्त करने के लिये 24वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया था । यह मामला 1950 में शंकरी प्रसाद के मामले में तथा 1954 में सज्जन सिंह के मामले में भी उठा था जिनमें संसद की शक्ति स्वीकार की गई थी ।

हमने गोलकनाथ मामले में उठाई गई प्रत्येक आपत्ति का उत्तर देने का प्रयत्न किया और हमने संविधान में सम्बन्धित प्रावधानों में संशोधन किया ।

गोलकनाथ के मामले में तो न्यायालय यह कह कर चुप हो गया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती परन्तु केशवानंद भारती के मामले में यह निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में तो परिवर्तन कर सकती है लेकिन आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती । यदि संसद आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करती है तो इसे अवैध समझा जाएगा । इस प्रकार न्यायालय ने हमारे ऊपर कई प्रतिबन्ध लगा दिए ।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सांविधिक शक्ति दो प्रकार की है । संविधान बनाने की सांविधिक एक बात है और संविधान में संशोधन करने की सांविधिक शक्ति दूसरी बात है । संविधान बनाना संसद की अन्तर्निहित शक्ति है जबकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति ग्रहण की गई शक्ति हैं। यह शक्ति सीमित है । प्रधानमंत्री के चुनाव के मामले में भी न्यायालय ने 39वें संशोधन को रद्द कर दिया ।

वर्ष 1971 में हमने संविधान (संशोधन) विधेयक पास किया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी रद्द कर दिया ।

अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है ? अनुच्छेद 326 का संशोधन इसका हल नहीं है । ऐसी कोई स्थिति अवश्य होनी चाहिए जहां कि इसे हल किया जा सके । जब तक संसद् और सर्वोच्च न्यायालय के बीच यह विवाद हल नहीं होगा, तब तक राष्ट्र प्रगति नहीं कर पाएगा । वर्तमान कानून से हम तभी बंध सकते हैं यदि संविधान का संशोधन करने का प्रयास किया जाए । संविधान का पुनर्निर्माण भी सम्भव है और इसके लिए सभा की शक्ति या अधिकार बहुत असीमित है ।

मैं संविधान सभा को बुलाए जाने का आग्रह नहीं कर रहा हूं । संसद् अपने संवैधानिक अधिकारों और अपने आपको प्राथमिक संविधान प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित करने का अधिकार है और वह संविधान को बदलने तथा इसका पुनर्निर्माण करने के लिए पूरी तरह सशक्त है ।

हमें याद रखना चाहिए कि हम भारत के संविधान का संशोधन कर रहे हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों और देश भक्तों ने इसका प्रारुप बनाया है । अतः यह संशोधन सब कुछ देखकर ही करना चाहिए । मैंने भी अपना संशोधन पेश किया है । मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे संशोधन पर गम्भीरता से विचार करें ।

हम प्रस्तावना के माध्यम से जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं । हम प्रस्तावना में विशिष्ट शब्द जोड़कर एक नया मार्ग बना रहे है । प्रश्न केवल यह है कि कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाए और इसके लिए राष्ट्रीय चर्चा आवश्यक है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं संविधान (44वां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, मैं सदन का ध्यान एक विशिष्ट मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। कल श्री मूलचंद डागा ने प्रस्ताव को संयुक्त समिति को भेजे जाने वाले विधेयक के बारे में संशोधन पेश करते हुए यह कहा था कि उन्होंने उन सदस्यों की सदमति ले ली है जिन्हें वह संयुक्त समिति में शामिल करना चाहते हैं। इस बारे में श्री भोग्रेन्द्र झा और श्री प्रिय-रंजनदास मुंशी ने स्पष्टीकरण देने की बात कही है। अब सदन की परम्परा यह रही है कि जब तक सदस्यों की लिखित सहमति न ले लें तब तक सभा में प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। चूंकि दो सदस्य स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ; उन्हें अवसर देना उचित होगा।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : तथ्य तो यह है कि श्री डागा ने न तो मेरी लिखित और न ही मौखिक स्वीकृति ही ली है। इस प्रकार उन्होंने सदन में गलत वक्तव्य दिया है।

माननीय सदस्यों ने सही ही कहा है कि यह एक विशेष सत्र है और इस सत्र में हम संसद् की सर्वोच्चता तथा संसद् द्वारा संविधान में संशोधन करने के अधिकार पर बल दे रहे हैं। लेकिन सदन से बाहर और संसद के अन्दर कुछ ताकतें संसद के इस अधिकार को नहीं मानती हैं। कुछ सदस्य संसद का बहिष्कार तक कर रहे हैं। जहाँ तक सदस्यों के नाम बिना सहमति के शामिल करने का प्रश्न है, श्री डागा की भर्त्सना की जानी चाहिए और उनका संशोधन अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकता दक्षिण) : मैं इस बारे में पहले ही अध्यक्ष महोदय को लिख चुका हूं। श्री डागा हमारे मित्र हैं और सदन के सम्मानित सदस्य हैं। यह सही है कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि मेरा नाम शामिल नहीं किया गया है। मेरा इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। और न ही मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : यह एक महत्वपूर्ण विधान है। यदि कुछ सदस्यों ने इसे संयुक्त समिति को भेजने की बात कही भी हो, तो उनका यह कहना स्वाभाविक हैं। वस्तुतः मेरी भी यही राय है कि इसे संयुक्त समिति को भेजा जाए।

इस विधेयक को पेश करने के लिए सरकार बधाई की पात्र है।

विधेयक के उद्देश्य और कारण बताने वाले कथन में यह कहा गया है कि इसका उद्देश्य आर्थिक सामाजिक क्रान्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करना है जिससे निर्धनता, अज्ञानता, रोग तथा अवसरों में असमानता दूर होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीति निदेशक सिद्धांत और व्यापक बना दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकारों के बारे में पूर्वोदाहरण बन गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(च), जो सम्पत्ति के अधिकार के बारे में है, समाजवाद की विचाराधारा के अनुरूप नहीं है। अब चूंकि प्रस्तावना में 'समाज-वाद' शब्द अन्तःस्थापित किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 19(च) मौलिक अधिकारों से अलग किया जाए और इसे सामान्य विधि में शामिल किया जाए। यदि यह सभा संविधान के समाजवादी उद्देश्यों की घोषणा करने के बारे में सत्यनिष्ठ है तो हमें अनुच्छेद 19(च) अर्थात् सम्पत्ति का अधिकार, संविधान से निकाल देना चाहिए।

काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक समाजवादी संविधान में होना ही चाहिए। सरकार काम करने के अधिकार को दिए बिना नागरिक पर मौलिक अधिकारों का भार किस प्रकार लाद सकती है ? काम करने का अधिकार संविधान के अन्तर्गत होना ही चाहिए।

खण्ड 6, 23, 24, 25, 30, 40 और 58 में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के अधिकारों के नियन्त्रण के बारे में है । उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का दर्जा बहुत घट गया है । विधि आयोग ने भी यह स्वीकार किया है और कहा है कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य ही किया जाना चाहिए । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या न्याय पालिका को भी निर्वाचित किया जा सकता है जैसा कि स्विटज़रलैंड और सोवियत संघ में किया गया है । इस तरह हम उन पर कुछ नियन्त्रण कर सकते हैं और उनकी भी अपनी विचारधारा भी होगी । अतः न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली किसी न किसी प्रकार बदलनी ही होगी । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

खंड 43--अनुच्छेद 57 क संघीय संविधान की संकल्पना को समाप्त करती है । सरकार को ऐसी शक्तियां प्राप्त करने की क्या आवश्यकता पड़ी है जिनमें राज्य सरकारों की सलाह के बिना वहां सेना तैनात कर सकती है । जब कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जहां कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निदेश की अवमानना की हो तो ऐसे प्रावधान की क्या आवश्यकता है । यदि सशस्त्र सेनाएं भेजने के अधिकार पर जोर दिया गया तो यह अधिकार पूर्णतः संसद् को होना चाहिए, कार्यपालिका को नहीं अन्यथा इस अधिकार का दुरुपयोग भी किया जा सकता है ।

शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के विषय को लेकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में असन्तोष व्याप्त है । इससे दूसरी भाषाओं को दबाया जा सकता है । शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना अत्यन्त आपत्ति-जनक है । इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये ।

ऐसी भी शंका व्यक्त की जा रही है कि निर्वाचन आयोग के पास शक्ति का संकेंद्रण हो गया है। जहां तक दंड और अयोग्यताओं का सम्बन्ध है, इस विधेयक में स्वर्णसिंह समिति द्वारा दिये गये सुझावों से भी आगे बढ़ कर उपबंध किये गये हैं । इसका राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

मेरे लिए ही नहीं प्रत्येक लोकतांत्रिक के लिए खंड 5 बहुत खतरनाक है जिसका सम्बन्ध अनुच्छेद 31(घ) के साथ है ।

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की समुचित परिभाषा न होने से व्यक्तिगत आजादी को खतरा पैदा हो गया है । कोई भी सत्ताधारी दल किसी भी विपक्षी दल या संगठन पर प्रतिबंध लगा सकता है । यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं, कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों के अधिकारों पर घातक प्रहार है ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । इस ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए मैं सरकार और विधि मंत्री जी को बधाई देता हूं । इस विधेयक से हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी ।

25 वर्षों का अनुभव हमें बताता है कि हमारे संविधान में निहित निदेशक सिद्धांत स्पष्टतया जनता की गरीबी दूर करने का ही घोषणापत्र हैं तथापि आर्थिक सुधार अथवा आर्थिक विकास के लिए जो भी प्रयास किये गये वे सम्पत्ति के अधिकार से टकरा कर विफल हो गये । अनेक सदस्यों द्वारा दिया गया यह सुझाव विचारणीय है कि सम्पत्ति का अधिकार यदि बिल्कुल ही समाप्त न किया जाये तो कम से कम उसकी परिभाषा तो कर ही देनी चाहिये ।

यदि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें प्रस्तावना में उसे स्पष्ट कर देना चाहिये। ताकि शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जा सके । यदि यह हमारा उद्देश्य हो तो समूचा राष्ट्र एक हो कर खड़ा हो जायेगा । शायद इसीलिए समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में रखा गया है ।

मुझे बड़ी हैरानी होती है जब विपक्षी दल वाले कहते हैं कि हमें जनता का विश्वास प्राप्त नहीं । क्या इसलिए कि लोक सभा की अवधि बढ़ा दी गई है । लेकिन अवधि बढ़ाये जाने के लिए भी वे ही उत्तरदायी हैं । हम तो निर्वाचन के लिए तैयार थे पर उन्होंने ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं ।

यह कहना गलत है कि न्यायालयों के अधिकार समाप्त किये जा रहे हैं । इस विधेयक ने तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार इतने बढ़ा दिये हैं कि जिससे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ।

समूचे विधेयक को तीन खण्डों में विभाजित किया जा सकता है । एक वर्ग का सम्बन्ध सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति से है । खण्डों के दूसरे वर्ग का सम्बन्ध न्यायपालिका तथा संसद की शक्तियों में उत्पन्न असंतुलन तथा भ्रान्ति को दूर करने से है । तीसरे वर्ग का सम्बन्ध उन संशोधनों से है जो देश की एकता और अखण्डता के संरक्षण तथा समेकन हेतु हैं और जिनसे जनता द्वारा निर्वाचित सरकार, लोकतंत्र तथा व्यवस्थित कार्यकरण को सुनिश्चित करना है ।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की बात केवल तभी कही जा सकती है यदि कुछ खंड ऐसे हों जिनके बारे में सभा कोई निर्णय न ले सकती हो और एक छोटी-सी समिति इस पर पूर्ण विचार कर सकती हो । इस विधेयक पर विचार करने के लिए हम सभी सदस्यों को पूरा अवसर मिल रहा है । अतः इसे संयुक्त समिति को या प्रवर समिति को सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अन्तर्गत आप संविधान सभा का गठन नहीं कर सकते । संविधान सभा बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है । ऐसा करने से तो हास्यस्पद स्थिति पैदा कर देंगे । अनुच्छेद 3 से 8 में संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दी हुई है । इसके अतिरिक्त संविधान सभा की सदस्यता के बारे में अनेक बातें उठ खड़ी होंगी । क्या इसमें निर्वाचित सदस्य लिए जायें या सदस्य संख्या क्या रखी जाये आदि । धार्मिक, भाषायी, साम्प्रदायिक आदि सभी तरह के विवाद उठ खड़े होंगे । इस लिए संविधान सभा को बुलाने का प्रस्ताव घातक सिद्ध हो सकता है ।

यह नौकरशाही जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, संविधान सभा का विचार उसी का दिया हुआ है । लेकिन लोकतंत्र में नौकरशाही को हमारी बात माननी होगी क्योंकि हमें जनता की स्वीकृति प्राप्त है ।

हमारे कुछ आधारभूत मापदण्ड हैं हम उन्हीं मापदंडों को संविधान के अन्तर्गत रखना चाहते हैं । कर्त्तव्यों वाला अध्याय बड़े सुन्दर ढंग से तैयार किया गया है । वे हमारे मार्गदर्शी सिद्धांत है, आचार संहिता है जिसे प्रत्येक नागरिक को बचपन से ही ध्यान में रखना होगा ।

हमें अपने को अवसर के अनुकूल सिद्ध करना होगा । यह ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे शीघ्रातिशीघ्र पास किया जाना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकता उत्तर-पूर्व) : मैं श्री साठे से पूर्णतया सहमत हूं । आशा है कि सभा संविधान सभा बनाने के सुझाव पर बिल्कुल ध्यान न देगी । श्री स्टीफन ने यह आशंका व्यक्त की है कि इस विधेयक से न्यायाधीश विक्षुब्ध हो जायेंगे और उनका संसद से टकराव हो जायेगा । वे संवैधानिक संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे । लेकिन ऐसा किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिये । बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स बंद करने के मामलों में भी न्यायालयों ने विरोध किया था । पर उसका क्या परिणाम निकला ।

मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संसद की भूमिका के बारे में भी सन्देह व्यक्त किया जा रहा है। कांग्रेस दल के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो संसद के अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ हैं। संसद को पूर्ण अधिकार है कि वह संविधान में आवश्यकतानुसार संशोधन करे।

यह कहना ठीक नहीं कि संसद जन समर्थन खो चुकी है। विधि मंत्री ने सही कहा है कि जन समर्थन अभी भी हमारे साथ है। हमारे सामने सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम हैं जिन्हें पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया जाना है। यह विधि की केवल शाब्दिक व्याख्या है कि लोक सभा की अवधि बढ़ाई गई है। सब को मालूम है कि सभी के विचार जानने के बाद यह अवधि बड़ाई गई है। हमें विधि के शब्दों और भावना के अनुसार पूर्ण जन समर्थन प्राप्त है।

इस विशेष संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सरकार वास्तव में क्या करना चाहती है। इस संबंध में कुछ कारणों से देश में कुछ गलत फहमी है और हमारे दल ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि इस विधेयक में विशेषताएं तो हैं किन्तु इसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम इस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हमने इसका स्वागत ही किया है लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें त्यागना ही होगा। इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनका संशोधन करना होगा।

यह अच्छी बात है कि अन्ततोगत्वा इस देश की सरकार वास्तविक शक्ति और विश्वास के साथ 'संवैधानिक प्रक्रिया पर संसद के नियंत्रण' के सिद्धांत पर बल दे रही है। सरकार को इस संबंध में कुछ संकोच था। तीसरी संसद में भी जब श्री नाथ पाई ने अपना विधेयक पेश किया था तो कुछ सदस्यों ने अपना विरोध प्रकट किया था और इसी कारण विधिवेत्ताओं ने इन मामलों पर चर्चा की थी।

फिर कुछ राजनीतिक पीड़ित सामने आये और उन्होंने हमारी न्यायपालिका को हमारे नागरिक अधिकारों का सर्वोच्च रक्षक बताया। इन दोनों बातों के कारण जनता के दिमाग में एक विचार बना कि कुछ स्वतन्त्रता आदि के लिये संसद की अपेक्षा न्यायपालिका पर अधिक विश्वास किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में आशंका व्यक्त की गई है। कहा गया है कि कोई भी सरकार सत्तारुढ़ हो, अल्पसंख्यक उसकी दया पर होंगे और केवल न्यायाधीश ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। यदि देश में किसी एक समुदाय विशेष के विरुद्ध वातावरण है तो देश के जनमत के अलावा जिसका प्रतिनिधित्व सरकार करती है उसकी रक्षा कौन कर सकता है, और जनता की राय जानने के लिये चुनावों के अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसलिये जिन्हें जनता चुनती है उन्ही पर विश्वास किया जाना चाहिये। न्यायाधीश लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। न्यायाधीश तो वे लोग होते हैं जो वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हैं, वे उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कानून को विस्तृत बनाना होगा। इसलिये अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये न्यायिक पहलू की बजाय हमें राज्य के राजनीतिक पहलू पर निर्भर रहना होगा।

प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्म निरपेक्ष' शब्दों को शामिल किया गया है। हमने इसका स्वागत किया है। किन्तु हमें यह देखना चाहिये कि क्या हमने इस प्रकार जनता के साथ कोई धोखा तो नहीं किया है। समाजवाद कोई उपलब्धि नहीं है; यह तो केवल एक महत्वाकांक्षा है। समझ में नहीं आता कि सरकार सम्पत्ति के मूल अधिकार को हटाने के विचार से क्यों बचना चाहती है। कोई भी यह न समझे कि मार्क्सवादी ऐसे लोग हैं जो सम्पत्ति के अधिकार पूर्णतया विरुद्ध हैं। रूस और चीन समेत अन्य समाजवादी देशों में व्यक्ति के सम्पत्ति के अधिकार का सदैव आदर किया गया है। परन्तु सम्पत्ति पर निरंकुश अधिकार नहीं होना चाहिये, वरना न्यायालय इसकी व्याख्या उसी तरह करेंगे जिस तरह की हमारे बड़े-बड़े वकील कानून की व्याख्या करते हैं। प्रधानमंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

[श्री जी० विश्वनाथन् पीठासीन हुए
Shri G. Viswanathan in the Chair.]

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की बात जो सरकार ने इस विधेयक में शामिल की है, ठीक नहीं है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के नाम पर निस्संदेह गरीब जनता को ही अधिक यातना उठानी पडी है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्राय: धनी लोग ही लगे रहते हैं। परन्तु उन्हें एक निश्चित सीमा से अधिक तंग नहीं किया जा सकता। गरीब लोगों को तो हर समय तंग किया जाता है।

क्या लोगों ने अनुशासन के लिये प्रधानमंत्री की अपील स्वीकार नहीं की है। लोगों ने स्वेच्छा से इसे स्वीकार किया है। उन पर जबरदस्ती नहीं थोपा गया है। इसी कारण लोगों पर विश्वास किया जाना चाहिये।

लोक सभा के कार्यकाल के लिये 6 वर्ष की अवधि का प्रस्ताव किया गया है। पांच वर्ष की अवधि काफी लम्बी अवधि समझी गई है। इसके बाद ही एक उपबन्ध यह है कि आपात स्थिति में इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। फिर हम इसके कार्यकाल को 6 वर्ष के लिये क्यों बढ़ायें और इस प्रकार चुनावों के समय अपनी आलोचना कराने का भय मोल क्यों लें? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फिरोज़ गांधी अधिनियम को पुन: जीवित किया जाये ताकि संसदीय कार्यवाही के छपने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हो।

हमारा संविधान बहुत बड़ा है और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यह विधियों का जनक है यदि इसके अनुच्छेदों से ऐसा लगे कि राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्राप्त हैं जिसे वह विशेष प्रकार से उपयोग में ला सकता है। तो उन्हें संविधान में स्थान नहीं देना चाहिए। जनता सरकार के साथ सहयोग करने को उद्यत है परन्तु आपके कानून जनता की इच्छाओं के अनुकूल होने चाहिए।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : The people in our country ask as to why should there be delay in amendment of Constitution. It is true that there are a few individuals and groups who do not want the constitution be changed. But an overwhelming majority of the people want that the present constitution must undergo dynamic changes in order to meet the requirements of the people and to meet the needs of changing lines. Our Prime Minister has asserted in her meetings and conferences that the constitution is for the people and it has get to be amended in order to meet the aspirations of the people. In fact it is the voice of our masses which has completed the ruling party to bring forth this amending Bill.

It has been alleged by certain individuals and opposition parties that the, Congress party has no mandate to amend the Constitution. A glance at the election manifesto of the Congress party for 1971 shows that is promised that the Constitution would be further amended in order to overcome the infediments in the path of social justice. The Congress party promised to remove poverty by removing constitutional hurdles. Thus the congreess, party had received a clear mandate from the people to amend the constitution.

It has been alleged by the opposition parties that the ruling party has extended the life of the Lok Sabha for one year. The term has been extended in accordence with the provisions of the constitution. The constitution specifically provided that in case of emergency the life of Lok Sabha could be extended. This charge is, therefore baseless.

It must be remembered that we were amending the constitution so that the five basic requirements *i.e.* food, clothing, housing, health and education of our people. could be met.

It is a fact that the constitutions which did not fulfil the aspirations of the people had disappeared. The constitution of India was not a stumbling Bleek in the way to progress but it is a dynamic instrument which represented the hopes and aspiriation of the people. It is a living and flexible document. It has been amended fourty three times so far . This is forty fourth amendment . So there should be no objection to this. It is indeed a great day for the Parliament when that historic amendment is being made in our constitution. Congress Party and its leader deserve congratulation for this.

Recent pronouncements of the Supreme Court in regard to some of the provisions of the constitution have been very disturbing and had really distanted our constitution. Although the effect of Judgment in the Golaknath case has been set right by the Parliament but the judgement delivered in Keshwanand Bharati case is still there. It say that the Parliament has no powrs to change the basic structure of the constitution. But what is the basic structure of the constitutions. The judgement is silent on that issue. It has, therefore, become inperative to amend the Constitution in a big way so that judiciary may not stand in the way to progress.

It has been said that the Prime Minister has all powers. The opposition members were saying that at least Shrimati Indira Gandhi must go. A number of Consipracies were hatched. Intimately Emergency was declared. The prices have come down after the declaration of emergency. I do not say that everything has been set right, but things have improved. What objection do these people have when we amend the constitutions with two thirds majority. The fate of 60 crores of people should not be decided with one vote majority in the Supreme Court. The Judges are competent people. If they do not change with time we would have to bring 45th and 46th amendments. These matters have been subject of debate for 5–6 years.

It became necessary to clerify clause 368, that the Parliament can amend any part of the constitution. If the Judges do not pay feed to the call of the time even now, then the Parliament is Supreme. We have been sent here by the people. This house has elected the Prime Minister and the President. We are changing the Constitution in the interest of the people.

I cannot understand as to why fundamental rights should have precedence over directive principals. This basically was a wrong approach. Now this anomaly has been removed. It is a step in the right direction.

The fourth estate, *i.e.* the Press in the hands of industrialists is working against the Government and the people.

The Property right should have been removed from the fundamental rights. Our constitution would become complete only after imposing restraints on properly rights. Article 311 of the Constitution which gives unrestricted rights to I.A.S. and I.P.S. Officers should be deleted from the Constitution. I have submitted a separate amendment in this regard. Article 31 should also be removed. The amendments made are welcome and revolutionary. The laws made would not now be subject to challenge in Supreme Court under Articles 14, 19 and 31.

For the first time duties have been introduced in the constitution. This is a salutary step. These duties aim at ameliarating the lot of workers and weakers sections of our population.

It is being said that there has been curtailment of rights of the courts. But the feet is that there has been curtailment of the rights of Supreme Court and High Courts. So for every Central Act could be challenged in any High Court of the country. But now it could be challenged only in the Supreme Court.

It is being said that power of writs under Art. 226 is being. minimised Four lakh writs are pending in different courts. If a Tax evader is Leed by the Government immediately a writ is accepted by the court. Now the words 'any other purpose' are being withdrawn from this clause. The withdrawal of the words 'any other purpose' was proposed by Shri Jawahar Lal Nehru on 22 May, 1954. This would put a check on various kinds of cases in Indian Courts. The capitalists and the vested interests are making a false propaganda that the rights of the courts are being curtailed . The consipracies of these people would never succeed.

There has been gains of emergency. The Emergency was imposed when the opposition did not allow the Lok Sabha to function for two years.

The President should be empowered to promulgat emergency in any part of the Country where conditions may require it.

Then I fully support the amendment to Article 257. It is appropriate to send Central armed force to any state which is disturbed due to internal strife. I also welcome the proposal to bring education in the concurrent list.

The Prime Minister has rightly said that a change is bound to come and if it is not brought about by peaceful means, there will be bloody revolution.

We do not want the sky scrappers to be pulled down but we certainly will not allow more storeys to be added to there unless the small huts are also turned into good buildings. This is the aim of our socialism and the Directive Principles of our constitution. We want revolution in order to provide food, cloth, accommodation, health and education the five basic necessasities of human beings.

Socialism is the need of the hour. We have realised this fact and have decided to change the Constitution accordingly.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : सभापति महोदय यह एक ऐतिहासिक सत्र है। हमने एक महान कार्य करने का बीड़ा उठाया है। मैं संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने या संसद के अधिकार को चुनौती देने या संविधान सभा को बुलाने की मांग करने के लिए नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि जो इतने महत्वपूर्ण संशोधन संविधान में किये जा रहे हैं उनका गहनता से अध्ययन किया जाये।

मैं मानता हूं कि संविधान पर पुनर्विचार की जरूरत है पर देश में जो भय का वातावरण छाया हुआ है उसे पहले दूर किया जाना चाहिये। देश के हित में महत्वपूर्ण संशोधन करने का जो कार्य आपने आरम्भ किया है, हम उसमें अपना उत्तरदायित्व निभाने को पूरी तरह तैयार हैं।

संविधान का एक गतिशील दस्तावेज होना जरूरी है पर ऐसा करते समय हमें यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि कार्यपालिका के पास इतनी शक्ति न हो जाये कि वह निरंकुश हो जाये। लोकतंत्र में न्यायपालिका और संसद में स्वस्थ संतुलन रहना चाहिये क्यों कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान मंडल लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं। इसलिये यदि विधानमंडल पर से सभी नियंत्रण हटा लिए गये तो नौकरशाही निरंकुश हो जाएगी।

निदेशक सिद्धांतों को जरूरत के अनुसार बदलना चाहिये। इसलिए इस परिवर्तन का तो स्वागत ही किया जाना चाहिये। लेकिन जहां तक मूलभूत अधिकारों का प्रश्न है, उन्हें स्थायी होना चाहिये जिनका उल्लंघन न किया जाए क्योंकि अल्पमतावलम्बियों का उनसे सीधा संबंध है।

संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का मैं पूरा समर्थन करता हूं। यह सावधानी बरतनी आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को ध्यान में रखते हुए अल्पमतावलम्बियों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा की जाये। संसद का यह दायित्व है कि वह यह देखे कि अल्पसंख्यकों को समान अवसर मिले ताकि वे दूसरों के बराबर अपना विकास कर सकें और इससे हम इस देश में कल्याणकारी समाज की स्थापना कर सकें।

जहां तक बुनियादी कर्त्तव्यों का सम्बन्ध है, मूलभूत कर्त्तव्यों संबंधी अध्याय में यह उपबंध किया गया है कि "सभी प्रकार की साम्प्रदायिकता का त्याग करो और निदेशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने

में सहायता एवं सहयोग करो"। लेकिन यह आपत्तिजनक है। मुझे खुशी है कि सर्वश्री स्वर्णसिंह, एच० आर० गोखले और ओम मेहता जी से बातचीत करने के बाद शंका का निवारण हो गया है और दाण्डिक उपबंध दूर किये गये हैं।

विधेयक के खण्ड 4 में अनुच्छेद 31(ग) में संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह हमारे मूल अधिकारों के लिए घातक है। यहां मूल अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांतों को लाने की बात कहीं गई है। इससे लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता के ढांचे में काफी दरार पैदा हो जायेगी। यह तो पश्चमगामी उपाय है।

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का सामना करने संबंधी खंड 5 केवल अनावश्यक ही नहीं बल्कि उसके प्रतिकूल भी है। गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम तो पहले ही मौजूद है। अतः संविधान में उसके लिए उपबंध करने की क्या आवश्यकता है। इससे तो स्थानीय अधिकारियों को यह निर्णय करने का अधिकार मिल जायेगा कि कौन सा संगठन राष्ट्र विरोधी है कौन सा नहीं।

संविधान में वर्तमान अनुच्छेद 226 के प्रतिस्थापन के लिए खंड 38 में प्रस्ताव है। "कोई अन्य प्रयोजन" शब्द हटाये जाने से कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। गंभीर अन्याय होने या सांविधिक विधि के उपबंधों का उल्लंघन होने जैसे मामलों में भी लोगों का उच्च न्यायालय में जाना कठिन हो जायेगा। यदि इन शब्दों को हटाना हो तो उनके स्थान पर एक नया उपखंड जोड़ना चाहिये, जिससे लोगों को न्याय मिल सके और कार्यपालिका की मनमानी से जिनके साथ अन्याय हुआ हो, उन्हें न्याय दिलाया जा सके।

जहां तक मुसलमानों के वैयक्तिक कानून के संरक्षण का संबंध है, यह समस्या तो सदैव संवेदनशील रही है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किये जाने के समय से लेकर आज तक मुसलमान अपनी चिंता व्यक्त करते आ रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधि मंत्री आज तक आश्वासन देते रहे हैं कि इस कानून में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। अब निदेशक सिद्धांतों संबंधी भाग-4 में से अनुच्छेद 44 का लोप कर भारी परिवर्तन कर रहे हैं। इस से वातवरण बेहतर बनेगा।

श्री के० नारायण राव : मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद 44 को पूरी तरह से न हटाया जाये क्यों कि हो सकता है भविष्य में उदारवादी मुसलमान स्वयं इस बात की मांग करें कि वैयक्तिक कानून की संविदा तैयार की जाये।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : हम तो पाक कुरान और सुन्ना की बात मानते हैं। इसलिए ऐसी मांग उठने का प्रश्न नहीं। परिवार नियोजन का जहां तक प्रश्न है, हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा दल उसके विरूद्ध नहीं है। लेकिन हम जबरदस्ती नसबंदी के विरूद्ध हैं। लेकिन जबरदस्ती की जा रही है। इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। सेवाओं, उद्योगों और सरकारी संस्थानों में मुसलमानों को समान अवसर दिये जाने चाहिए।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Sir, the opposition parties and the Courts did not lag behind in obstructing the implementation of our programmes to help the poor. That is why shri Gokhle came forward with 43rd and 44th Constitution Amendment Bills. I Congratulate both Shri Gokhale and Sardar Swaran Singh and fully support the inclusion of "Secularism and Socialism" in the Preamble of the Constitution.

We will not be able to achive the goal of socialism unless there is unity in our country. It is necessary to make this addition because adequate safeguards have to be provided so that anti-national forces may not be able to disrupt the unity of our country. The Government will have to remain alert in regard to these elements who have already inflicted a heavy below to our democratic functioning.

We have also made a mention about the fundamental duties proposed to be included in the Constitution. The enumeration of these duties will set forth a call to the citizens of the country that until they united ly fulfil their duties or obligations, it may not be possible to achieve the cherished goal. It has been said that there is no scope for making any changes in the Constitution as it is a sacrosanct document. But it cannot be made static, because it has to fulfil the aspirations of the people. In the Constituent Assembly Pandit Jawahar Lal Nehru had said that the first task of this Assembly is to free India through a new constitution, to feed the starving people and to clothe the naked masses and to give every Indian the fullest opportunity to develop himself according to his capacity. The Constitution has been given to the people with certain objectives which are to promote welfare and the interests of the people. But the judiciary has put hurdles in the implementation of these principles. It would have been befitting if Supreme Court which enjoys its supremancy through Parliament, would have recognised the supremacy of Parliament. Parliament is a Sovereign body and it has to provide full opportunity to the people for bringing about an all-round development. It is with these ideas that constitution had been framed and is now being amended.

So far as the right to property is concerned, it has been rightly said that it should be abolished. It can be a fundamental right to a limited extent only.

There is no basis to entertain any apprehension that these amendments will be challenged in a court of law. Parliament is supreme and fully empowered to make any amendments in the Constitution, which it deems necessary. I feel that there is no need for a Constituent Assembly or a joint Committee for the purpose.

With these words I support this Bill.

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : मैं संविधान (संशोधन) विधेयक के अधिकांश खण्डों का समर्थन करता हूं, परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर सभा का ध्यान जाना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के जीने के मूल अधिकार की तो रक्षा होनी ही चाहिये । किसी नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिये तो व्यवस्था की ही जानी चाहिये । मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि आंसुका के उपबन्धों का दुरुपयोग किया गया है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]
[Mr. Speaker in the Chair]

अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसके विरुद्ध उचित संरक्षण की व्यवस्था की जाये । अतः मैंने अनुच्छेद 31घ के साथ एक परन्तुक जोड़ देने संबंधी संशोधन का प्रस्ताव किया है । यह संशोधन आवश्यक है क्योंकि यदि कार्यपालिका यह समझती है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को उचित तौर पर ही नजरबन्द किया है तो उसे मामलों को अदालत द्वारा जांच के लिये भेजने में संकोच नहीं करना चाहिये । ऐसा केवल तभी होता है जब कार्यपालिका समझती है कि उसका कोई कार्य अनुचित है और वह इस प्रकार की रोक लगा देती है कि आंसुका के अन्तर्गत आने वाले नजरबन्द व्यक्ति का कोई भी मामला अदालत में नहीं ले जाया जा सकता । अतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके जीने के अधिकार के संबंध में संरक्षण तथा गारंटी होनी चाहिये जो संविधान में दी गई है । अतः मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध को अवश्य रखा जाना चाहिये ।

न्यायाधिकरण बनाने के बारे में विशेष कानून बनाना पड़ेगा । जब न्यायाधिकरण बनाये जाते हैं तो उनके निरीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय को होना चाहिये । न्यायाधिकरणों का सारा मामला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निरीक्षण में होना चाहिये । यह बात जनसाधारण के हित में है । परन्तु मालूम नहीं कि न्यायाधिकरणों को बनाने के पीछे, सरकार का क्या विचार है । यदि उसी विभाग में

से ही न्यायाधिकरण बन गया, तो उस में कौन विश्वास करेगा ? क्या आप यह आशा कर सकते हैं कि वे अपने लोगों का पक्षपात नहीं करेंगे ? अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि इन मामलों की देखभाल का कार्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा निरीक्षण में होना चाहिये। वर्तमान संशोधन के अनुसार जिन मामलों के लिये न्यायाधिकरण बनेंगे उन्हें समाप्त हुआ समझा जायेगा। विधि मंत्री ने बताया है कि जब तक न्यायाधिकरण नहीं बनता, तब तक मामला उच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जायेगा। मेरे विचार में तर्क संगत बात तो यह है कि जो भी मामले किसी उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़े हैं उन्हें तो उच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाना चाहिये। भविष्य में जब न्यायाधिकरण बन जाये तो उन्हें यह काम सौंपा जा सकता है। कारण स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय में जाने वाले लोग कोर्ट फीस दे चुके हैं और कई प्रकार का खर्चा कर चुके हैं। वे उसके निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। यदि आप अचानक कहें कि मामला न्यायाधिकरण द्वारा सुना जायेगा तो गरीब मुकदमेबाज को वहां जाना पड़ेगा। अतः ठीक बात यह है कि ये मामले उच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाये जायें।

पहली बार संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों संबंधी उपबन्ध भी जोड़ा जा रहा है। मेरे विचार में यह सब आत्मतुष्टि वाली बातें हैं और कुछ नहीं। मेरा मत है कि देश की शान्ति और समृद्धि के लिये 6 मौलिक सिद्धांत बड़े ही आवश्यक हैं जिन्हें मौलिक कर्त्तव्यों के रूप में जोड़ा जाना चाहिये। मेरे अनुसार ये कर्त्तव्य इस प्रकार हैं--धर्म निरपेक्ष प्रार्थना, सार्वजनिक जीवन में पवित्रता, समानता--- चाहे सरकारी उपक्रमों में हो या जीवन के अन्य पहलुओं में हो, पूर्ण शान्ति, उत्पादन और नियोजित परिवार। मुझे आशा है कि जहां तक मौलिक कर्तव्यों का सम्बन्ध है, ये सभी 6 बातें उसमें जोड़ी जायेंगी।

मैं अन्य मुख्य बातों के लिये विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Hari Singh (Khurja) : The Constitution (44th Amendment) Bill, which is under consideration is a landmark in the Constitutional history of our country. It is of great significance for the Common people. Its main aim is to ensure better deal for millions of poor people in the country. This is a big step forward in the path of Socialism.

The poor people have not been able to get justice from courts because litigation is a costly affair. The poor people will not get free legal aid.

This amending Bill will prove a great success in achieving greater progress in the country. It contains courageous steps and suggestions to remove obstructions in our way for creating an atmosphere of equality in the country.

These amendments were debated in the country by doctors, advocates, Professors, M.LA,s., M.Ps. and other eminent persons. It is said that we have no right to amend the basic structure of the Constitution. I want to know which part of the Constitution is a basic one and which is not. In the 1971 elections to the Lok Sabha the Congress Party had promised to the people that they would bring Constitutional amendments. In that election the Congress won with a big majority. The ruling party has thus got a mandate from the people to bring about changes in the Constitution which are necessary to improve the lot of the common people.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 अक्तूबर, 1976/5 कार्तिक, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, October 27, 1976/ Kartika 5, 1898 (Saka)

प्र०भा०स०मु०रि०रो०न०दि०—सैं० 2 दिन—13 एल०एस०एस/76—23-11-76—200
MGIPRRND—13 LSS/76—Sec. II-Day—23-11-76—200.